

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या /XXV-09(P6)/2018
दिनांक: देहरादून : 10 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश संख्या-46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी	ऊधम सिंह नगर	पौड़ी-गढ़वाल	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-7ख के अन्तर्गत
2.	श्री विजय तिवारी	पौड़ी-गढ़वाल	ऊधम सिंह नगर	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-10क के अन्तर्गत

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अधिकारियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्र0संख्या 3441 / XXV-09(P6)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर एवं पौड़ी-गढ़वाल।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, ऊधम सिंह नगर एवं पौड़ी-गढ़वाल।
4. उक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या /XXV-09(P6)/2018
दिनांक: देहरादून : 10 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश वरिष्ठ सहायक (सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश संख्या-46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत वरिष्ठ सहायक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री चन्द्रमणी बुधलाकोटी	नैनीताल	उत्तरकाशी	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-7क के अन्तर्गत
2.	श्री विपिन राणा	उत्तरकाशी	नैनीताल	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-10क के अन्तर्गत

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्र0संख्या 3442 / XXV-09(P6)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल एवं उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल एवं उत्तरकाशी।
4. उक्त सम्बन्धित अधिकारी कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार

निर्वाचन विभाग,

संख्या /XXV-09(P6)/2018

दिनांक: देहरादून : 10 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश कनिष्ठ सहायक (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश संख्या-46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालय में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत कनिष्ठ सहायक तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री योगेश चन्द्र	बागेश्वर	अल्मोड़ा	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-10क के अन्तर्गत

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिक को एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या 3443 / XXV-09(P6)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा।
4. उक्त सम्बन्धित अधिकारी कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।